3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 06/21 दायरा दिनांक 15.02.2021

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

हरिमोहन ठाकुरिया पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी 27, किसान मार्ग रूचिका काम्पलेक्स के पास, मानसिंहपुरा, टोंक रोड जयपुर

– **वादी**

बनाम

1. दौलत पुत्र फूलचन्द (कोनेवाला) जाति किराड निवासी बैंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 22.12.2022

उपस्थित– वादी की ओर से–श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– एकपक्षीय

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम महू पटवार हल्का बैंटा तहसील शाहाबाद में खसरा नम्बर 27 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नम्बर 86/272 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 87/274 रकबा 3.17 बीघा किता 3 कुल 18.04 बीघा भूमि स्थित है, जिसका एकमात्र मालिक व खातेदार वादी होकर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी कम 1 जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध, हक, अधिकार नहीं है प्रतिवादी कम 1 के खाते की भूमि भी वादी की भूमि के आसपास नहीं है। प्रतिवादी कम 1 झगडालू व आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो वादी के खातेदारी भूमि में काश्तकारी कार्य में अवरोध परेशानियां पैदा कर वादी को बेदखल कर विवादित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। गत नबम्वर माह में वादी ने अपनी भूमि को फसल बुवाई के लिये ट्रेक्टर लेकर भूमि को हांकने का कार्य किया उस समय प्रतिवादी कम 1 मौके पर आया व वादी को मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। ट्रेक्टर बाले को भूमि हांकने से रोक दिया। दिनांक 18.01.21 को वादी पुनः विवादित भूमि पर पहुंचा तथा भूमि की सुरक्षा के लिये जाली लगवाने के लिये लाइनिंग कर रहा था तो प्रतिवादी कम 1 हाथ में लट्ठ लेकर गाली गलोच करते हुये जान से मारने को आमादा हो गया। प्रतिवादी कम 1 वादी को धमकाता है कि वह जबरन ताकत के बल पर झगडा फसाद कर वादी को वेदखल कर विवादित भूमि पर कब्जा करके ही र[illegible] धमकी व कृत्य से वादी के काश्तकारी अधिकारों को भारी [illegible] संकट उत्पन्न हो गया है वादी खातेदार कृषक होकर [illegible] विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं [illegible] का प्रथ[illegible] या मामला है। प्रतिवादी कम 1 अपने कृत्य व धम[illegible] अपने हक [illegible] बंचित हो जावेगा वादी को अपूर्णीय क्षति ह[illegible] सुविधा का संतुलन भी [illegible] के पक्ष में है। वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में प्रतिवादी कम 1 द्वारा किसी प्रकार से दखलन्दाजी अवरोध नहीं करने देने के लिये वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:58:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

की डिकी पारित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी के खातेदारी की ग्राम महू स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नम्बर 86/272 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 87/274 रकबा 3.17 बीघा किता 3 कुल 18.04 बीघा पर वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में प्रतिवादी कम 1 किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे, आदि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से पी डबलू 1 हरिमोहन ठाकुरिया वादी स्वयं के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम महू सम्वत 2073 से 2076 प्रदर्श पी 1 को पेश किया। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि ग्राम महू पटवार हल्का बैंटा तहसील शाहाबाद में खसरा नम्बर 27 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नम्बर 86/272 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 87/274 रकबा 3.17 बीघा किता 3 कुल 18.04 बीघा भूमि स्थित है, जिसका एकमात्र मालिक व खातेदार वादी होकर काबिज काश्त चला आ रहा है, प्रतिवादी कम 1 जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध, हक, अधिकार नहीं है प्रतिवादी कम 1 के खाते की भूमि भी वादी की भूमि के आसपास नहीं है, प्रतिवादी कम 1 झगडालू व आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो वादी के खातेदारी भूमि में काश्तकारी कार्य में अवरोध परेशानियां पैदा कर वादी को बेदखल कर विवादित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। दिनांक 18.01.21 को वादी विवादित भूमि पर पहुंचा तथा भूमि की सुरक्षा के लिये जाली लगवाने के लिये लाइनिंग कर रहा था तो प्रतिवादी कम 1 हाथ में लट्ठ लेकर गाली गलोच करते हुये जान से मारने को आमादा हो गया और भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। चूंकि प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा, इस कारण वादी के कथनों का कोई खंडन नहीं हो पाया और वादी की साक्ष्य अखंडित रही है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम महू सम्वत 2073 से 2076 प्रदर्श पी 1 से साबित है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नम्बर 86/272 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 87/274 रकबा 3.17 बीघा किता 3 कुल 18.04 बीघा का वादी रिकार्डेड खातेदार की है, जिसमें प्रतिवादी कम 1 को दखलन्दाजी करने का कोई हक अथवा अधिकार नहीं है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये इस कदर पाबंद किया जाता है कि वह विवादित भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नम्बर 86/272 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 87/274 रकबा 3.17 बीघा किता 3 कुल 18.04 बीघा ग्राम महू तहसील शाहाबा[illegible]ब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्[illegible] करे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। [illegible] जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:58:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

डिकी मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम– शाहाबाद

व इजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

हरिमोहन ठाकुरिया पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी 27, किसान मार्ग रूचिका काम्पलेक्स के पास, मानसिंहपुरा, टोंक रोड जयपुर

– वादी

बनाम

1. दौलत पुत्र फूलचन्द (कोनेवाला) जाति किराड निवासी बैंटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 06/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.......................................

व हाजरी...............................मिनजामिन मुद्दई रूबरू.......................................

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये इस कदर पाबंद किया जाता है कि वह विवादित भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नम्बर 86/272 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 87/274 रकबा 3.17 बीघा किता 3 कुल 18.04 बीघा ग्राम महू तहसील शाहावाद के बावत वादी के स्वतंत्र कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। निज ....मुबलिग...बावत.........

....

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह...................फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा सटाम्प अर्जी मेहनताना बकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान

नोट– इस खर्चा के फर्द [illegible] खर्चा हर दो [illegible]न का चाहे डिकी के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:58:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner